न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 184/2020 निगरानी

1. श्रीमती कंचन देवी पत्नी स्व० श्री बालूराम जाट निवासी– परडोदास तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री गोपाल जाट जाति निवासी परडौदास तहसील हुरड़ा
2. ग्राम पंचायत गढवालो का खेड़ा पं.सं. हुरड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये संरपच ग्राम पंचायत गढवालो का खेड़ा पं.सं. हुरड़ा
3. ग्राम पंचायत गढवालो का खेड़ा पं.सं. हुरड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गढवालो का खेड़ा पं.सं. हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा.

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत गढवालों का खेडा पंचायत समिति हुरडा पटटा संख्या 06 दिनांक 14.04.2013

उपस्थित –

1. श्री रामदयाल जाट अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री दिनेश तिवाडी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.11.2021

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में गैर निगराकारान के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा संख्या 06 दिनाक 14/04/2013 को जारी किया गया, जो कि निगराकार की पुश्तैनी पट्टेशुदा जायदाद है। ग्राम पंचायत का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। निगराकार के स्वामित्व आधिपत्य की एक पुश्तैनी जायदाद बाड़ा वाके आबादी हल्का परडौदास ग्राम पंचायत गढवालो का खेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसकी नपती 46 बाई 90 फीट हैं। उक्त बाड़े का ग्राम पंचायत गढवालो का खेड़ा पं.सं. हुरड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा निगराकार के श्वसुर उगमा पुत्र श्री लालू जाट निवासी परडौदास के नाम पर बापी पट्टा जरिये पत्रावली संख्या 8 संवत 2027 दिनांक 26 सितम्बर 1970 को जारी किया गया, जिस पर निगराकार के श्वसुर उगमा जाट काबिज थे व उनके देहान्त उपरान्त निगराकार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है व उक्त बाड़े के तीन तरफ कांटो की बाड़ कर रखी है व एक तरफ पक्की दीवार है, जिसमे निगराकार द्वारा पत्थर व ईटे डाल रखी है व घास फुस व

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

लकड़िया डाल रखी है व मवेशी बांधते है व उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। बाड़े/भूखण्ड पर निगराकार एकमात्र मालिक होकर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोगकरती चली आ रही हैं तथा उक्त बाड़े / भूखण्ड से गैरनिगराकार संख्या 01 व उसके परिवारजन का कोई हक वास्ता नहीं है लेकिन गैर निगराकार संख्या 01 व उसके परिवारजन दिनांक 14 चौदह सितम्बर 2020 दो हजार बीस को निगराकार को जबरन बेदखल करने की धमकी दी व निगराकार का कब्जा छुडाने की धमकी दी, जिस पर निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 व अन्य के विरूद्ध न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो जैर कार्यवाही है। उक्त वादपत्र की तामिल गैर निगराकार संख्या 01 व उसके पति को होने पर उनके द्वारा न्यायालय में निगराकार के पति के नाम से फर्जी बैचान नामा बैचान इकरार नामा प्लोट नपती 50 बाई 150 फीट का दिनांक 05/09/2005 को 55,000/– रूपये में विक्रय करने बाबत पेश किया, गेर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में तथाकथित पट्टा की प्रति पेश की, जबकि गैर निगराकार संख्या 01 के पति गोपाल पुत्र श्री सुखदेव जाट को निगराकार के पति द्वारा कोई बैचान नही किया गया व न ही कोई कब्जा दिया गया व यदि बैचा जाता तो निगराकार के पति के जीवन काल में ही कब्जा लिया जाता व 15 साल बाद दंखलदाजी पैदा की है, जो फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करना स्पष्ट है। गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जो पट्टा जारी करना बताया गया है, जो 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा होना बताया गया है, जबकि उक्त जायदाद न तो गैर निगराकार संख्या 01 की पुश्तैनी है व न ही उनका कभी कोई कब्जा रहा है व वर्ष 2013 मे पट्टा जारी करना बताया गया, जबकि उक्त भूखण्ड़ का निगराकार के श्वसुर के नाम का पट्टेशुदा होकर निगराकार का ही कब्जा एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। निगराकार के श्वसुर की पट्टेशुदा भूमि का फर्जी तरीके से उक्त बिकावनामा व उसके पश्चात उक्त फर्जी पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। यदि मौके पर आकर किसी प्रकार की कब्जे बाबत जांच पडताल करते व किसी प्रकार की आपत्ति आमंत्रित करते तो निगराकार उस समय आपत्ति कर सकती थी, लेकिन ग्रम पंचायत नियमो की पालना नहीं कर उक्त तथाकथित पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा जो बैचान इकरार नामा वर्ष 2005 की प्रति दी व उसके पश्चात उक्त पट्टा जारी किया गया, जिससे भी प्रथम दृष्टया पुश्तैनी जायदाद साबित नही है व वर्ष 2013 में पट्टा जारी किया गया, जबकि गैर निगराकार संख्या 01 एक का कभी कोई कब्जा नही रहा है व आज भी मौके पर कब्जा नही है जिससे भी स्पष्ट है कि गैर निगराकार द्वारा आपस मे मिलीभगती कर निगराकार की बहुमुल्य सम्पति को हड़प करने की नियत से उक्त फर्जी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्व होने से आपास्त होने योग्य है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 142 से 157 के प्रावधानो की पालना नहीं की गयी, इस

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कारण से पट्टा विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 14.10.2020 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया।

निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों दोहराते हुये निवेदन किया कि निगराकार के स्वामित्व आधिपत्य की एक पुश्तैनी जायदाद बाड़ा वाके आबादी हल्का परडौदास ग्राम पंचायत गढवालो का खेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसकी नपती 46 बाई 90 फीट हैं। उक्त बाड़े का ग्राम पंचायत गढवालो का खेड़ा पं.सं. हुरड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा निगराकार के श्वसुर उगमा पुत्र श्री लालू जाट निवासी परडौदास के नाम पर बापी पट्टा जरिये पत्रावली संख्या 8 संवत 2027 दिनांक 26 सितम्बर 1970 को जारी किया गया, जिस पर निगराकार के श्वसुर उगमा जाट काबिज थे व उनके देहान्त उपरान्त निगराकार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। उक्त बाड़े / भूखण्ड से गैरनिगराकार संख्या 01 व उसके परिवारजन का कोई हक वास्ता नहीं है। निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 व अन्य के विरूद्ध न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो जैर कार्यवाही है। उक्त वादपत्र की तामिल गैर निगराकार संख्या 01 व उसके पति को होने पर उनके द्वारा न्यायालय में निगराकार के पति के नाम से फर्जी बैचान नामा बैचान इकरार नामा प्लोट नपती 50 बाई 150 फीट का दिनांक 05/09/2005 को 55,000/– रूपये में विक्रय करने बाबत पेश किया, गेर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में तथाकथित पट्टा की प्रति पेश की, जबकि गैर निगराकार संख्या 01 के पति गोपाल पुत्र श्री सुखदेव जाट को निगराकार के पति द्वारा कोई बैचान नही किया गया व न ही कोई कब्जा दिया गया व यदि बैचा जाता तो निगराकार के पति के जीवन काल में ही कब्जा लिया जाता व 15 साल बाद दंखलदाजी पैदा की है, जो फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करना स्पष्ट है। गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जो पट्टा जारी करना बताया गया है, जो 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा होना बताया गया है, जबकि उक्त जायदाद न तो गैर निगराकार संख्या 01 की पुश्तैनी है व न ही उनका कभी कोई कब्जा रहा है व वर्ष 2013 मे पट्टा जारी करना बताया गया, जबकि उक्त भूखण्ड़ का निगराकार के श्वसुर के नाम का पट्टेशुदा होकर निगराकार का ही कब्जा एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। निगराकार के श्वसुर की पट्टेशुदा भूमि का फर्जी तरीके से उक्त बिकावनामा व उसके पश्चात उक्त फर्जी पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा जो बैचान

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

इकरार नामा वर्ष 2005 की प्रति दी व उसके पश्चात उक्त पट्टा जारी किया गया, जिससे भी प्रथम दृष्टया पुश्तैनी जायदाद साबित नही है व वर्ष 2013 में पट्टा जारी किया गया, जबकि गैर निगराकार संख्या 01 एक का कभी कोई कब्जा नही रहा है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 142 से 157 के प्रावधानो की पालना नहीं की गयी, इस कारण से पट्टा विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगरकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत पटटा निगराकार संख्या 01 के नाम पर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया हैं। निगराकार स्वयं का पटटा प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हो रहा हैं, क्योंकि उक्त बापी पटटे पर किसी तरह पंचायत की मोहर अंकित नहीं हैं। साथ ही जब रसीद दिनांक 13.12.1970 को कटी हुयी बापी पटटे में दर्शित हो रही है तो उससे पूर्व दिनांक 26.09.1970 को पटटा कैस जारी हो सकता हैं? निगराकार को ये पता ही नही है कि गैर निगराकार संख्या 01 का पति वरिष्ठ सिविल न्यायालय, गुलाबपुरा के वाद में पक्षकार ही नही है तो उसको तामील कैसे करायी गयी तथा गैर निगराकार संख्या 01 के द्वारा जो दस्तावेज सिविल न्यायालय गुलाबपुरा में प्रस्तुत किये गये है वो सही है। निगराकार के द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के भूखण्ड का पटटा अपने श्वसुर के नाम का हाने का कह रही है, जबकि इस बाबत् कोई पटटा न्यायालय में पेश नही किया गया। वर्तमान में प्रकरण सिविल न्यायालय गुलाबपुरा में जैरकार हैं। सारे डिस्प्यूट सिविल न्यायालय से ही तय किये जाने योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की मिसल प्रतिलिपि अनुसार पाया गया कि प्रार्थी द्वारा स्वयं की पुश्तैनी मकान का पटटा बनाने के लिए आवेदन पेश किये जाने पर ग्राम पंचायत गढवालों का खेडा द्वारा मिसल 43/2013 कायम कर राजस्थान पचांयत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत आवासीय गृह विनियमितिकरण हेतु कुल 200/– रूपये पंचायत कोष में जमा कर बापी पटटा दिया जाने की स्वीकृति पंचायत के संकल्प संख्या 02 द्वारा सर्वसम्मति से दी गयी। तीन वार्ड पंचो द्वारा आबादी भूमि में निर्मित पुश्तैनी मकान का मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5.4.2013 को आपत्ति सूचना पत्र जारी किया गया। आपत्ति प्राप्त नही होने पर, आपत्तियों का निस्तारण बकाया नही होने पर पत्रावली निर्णय हेतु पेश की गयी। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत गढवालों का खेडा ने राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत आवेदनकर्ता को

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पुश्तैनी मकान का विनियमितिकरण कर पटटा राशि 200/— रूपये पंचायत कोष में जमा कराने हेतु आदेशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गढवालों का खेडा की मिशल संख्या 43/2013 के परीक्षण अनुसार गैर निगराकार संख्या 01 को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पटटा जारी किये जाने में ग्राम पचांयत गढवालों का खेडा द्वारा नियम 142 से 157 की पालना की जाना प्रतीत होती हैं। निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित किया कि उक्त पटटेशुदा भूखण्ड निगराकार का कब्जा चला आ रहा, किन्तु निगराकार ने पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे प्रतीत होता हो कि उक्त पटटेशुदा जायदाद पर निगराकार का कब्जा हो। निगराकार ने अपनी निगरानी में उक्त पटटा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नही करना अंकित किया हैं, किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी हो। गैर निगराकार संख्या 01 की पटटेशुदा जायदाद पर ही, निगराकार स्वयं की पुश्तैनी पटटेशुदा जायदाद होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सिद्ध नहीं होने से एवं पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत गढवालों का खेडा पंचायत समिति हुरडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)